प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-317 /स0क0/शिक्षा–अ/03/80/2019–20

लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल 2019

विषयः–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा एन0आई0सी0 व शासन/विभाग का नाम लेकर छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने के लिये भ्रामक प्रचार किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में कतिपय फ्राड व्यक्तियों द्वारा एन0आई0सी0 अथवा कल्याण विभाग की ओर से कर्मचारी बनकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने के नाम पर मोबाइल फोन के माध्यम से छात्रों से अनाधिकृत धनराशि की मांग किये जाने की शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है।

2– शासन के एंटीकरप्शन पोर्टल पर छात्रा पारूल, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रीमती सरस्वती देवी विद्या मंदिर, किसनी मैनपुरी द्वारा शिकायत की गयी है कि उनको एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ में द्वितीय तल, कमरा नं0–14 में बैठने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी श्री सौरभ द्वारा धनराशि दिलाने के नाम पर रू0 4500/– की मांग की गयी, जो पैसा मांगने वाले व्यक्ति द्वारा बताये गये कथित व्यक्ति रेखा सिंह के नाम से बैंक में खुले खाते में दिनांक 23–07–2018 को जमा की गयी। कथित फ्राड व्यक्ति श्री सौरभ जिसका मोबाइल नं0–6389794322 है। छात्रा द्वारा आडियो क्लिप व शिकायत को एंटीकरप्शन पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है।

3– इसी प्रकार जनपद आगरा की छात्रा नेहा उपाध्याय पुत्री श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, डी0–670 कमाल नगर, आगरा से भी श्री सुमित कुमार नाम के व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक, कैथी, वाराणसी खाता सं0–36125502447 में रू0

Scanned by CamScanner

3000/– उत्कोच के रूप में जमा कराने की बात की गयी। तत्कम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी, आगरा व सोनभद्र को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस प्रकरण में मोबाइल नं0–9125478520 का प्रयोग किया गया है।

4– छात्र श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री रिपु दमन सिंह ने शिकायत की है कि उनसे भी कथित फ्राड व्यक्ति आकाश कुमार ने मोबइल नं0–8081158857 के माध्यम से एन0आई0सी0 लखनऊ का कर्मचारी बताते हुए पैसे की मांग की गयी जिसे उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0–35139016662 में जमा किया गया। प्रकरण में छानबीन/जांच कराकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को दिया गया था।

5– श्री भगवानदास पुत्र श्री सियाराम ने भी शिकायत की है कि मोबाइल नं0–9598849102 से व्हाट्सअप एवं फोन पर बताया गया कि एन0आई0सी0 से बोल रहा हूँ। छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर रेखा सिंह भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0–37169298080 में धनराशि जमा करने को कहा गया। इसी कम में मोबाइल नं0–9598849102 से सौरभ नाम के व्यक्ति ने एन0आई0सी0 से फोन करने को अवगत कराते हुए रेखा सिंह के उक्त खाते में धनराशि जमा करने को कहा गया। इसकी शिकायत पुष्प इंस्टीट्यूट आफ साईंस एण्ड हायर स्टडीज, पीलीभीत द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को की गयी, जिसके कम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीलीभीत को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के दिये गये निर्देश के कम में थाना कोतवाली, पीलीभीत में एफ0आई0आर0 नं0–0020/2018 धारा–420 एवं 66 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी।

6– डा0 सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ने श्री बालाजी एकेडमी, मुरादाबाद की ओर से प्राप्त शिकायत के कम में कार्यवाही कराने का अनुरोध किया है। विभिन्न शिकायतों के प्राप्त होने पर एक अन्य एफ0आई0आर0 थाना–चौबेपुर, जनपद वाराणसी में मुकदमा अपराध सं0–0381/2018 धारा–420 एवं 66 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है।

Scanned by CamScanner

7— निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 ने अवगत कराया है कि एन0आई0सी0 के अधिकारी/कर्मचारी के नाम पर छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु जनपद गोरखपुर में श्रीमती रेखा सिंह के नाम से भारतीय स्टेट बैंक नारायनपुर खुर्द शाखा में संचालित खाता सं0—37169298080 में सुविधा शुल्क की धनराशि जमा की गयी थी, जिसपर आहरण पर रोक लगा दी गयी है।

उपरोक्त कतिपय मामलों में प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में छात्रों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि दिलाये जाने के नाम पर कथित व्यक्तियों द्वारा छात्रों को मोबाइल पर धनराशि की मांग की जा रही है। कतिपय छात्रों द्वारा धनराशि कथित व्यक्तियों द्वारा बताये गये बैंक खाते में जमा भी गयी है। उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाये जाने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का रैकेट संचालित हो रहा है, जिसकी गहन छानबीन/जांच की जानी है जिसमें साइबर एक्सपर्ट एवं बैंकों की मदद भी आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में गहन छानबीन/जांच आदि कराकर जांच आख्या के आधार पर विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग—3

2— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(मनोज सिंह)
निदेशक

Scanned by CamScanner